

WESTERN RAILWAY

P.S.No. 137/2014

Headquarter Office,  
Churchgate, Mumbai-20

No. E(P&A)/960/0 Vol.IV

Date: 29/12/2014

To,  
All DRMs / CWMs & Units Incharge,  
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.  
C/- ZS-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai  
C/- ZS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.


Sub: Payment of Productivity Linked Bonus to all eligible Non-gazetted Railway Employees for the financial year 2013-14.

=====

A copy of Rly. Board's letter No.E(P&A)II-2014/PLB-3 dtd 11.11.2014 (RBE No.126 /2014) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Sr.No.	Railway Bd's letter No. & Date	This Office letter No. & Date
i.	No.E(P&A)II-2014/PLB-3 Dated 05.11.2014 (RBE No.123/14)	No. E(P&A)/960/0 Vol.IV dated 10.11.2014 (P.S.No.118/2014)

Encl: As above.



( Babu Augustine )  
APO(B&A)  
For General Manager (E)

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर.बी.ई सं. 126/2014  
नई दिल्ली, दि. 11.11.2014


सं. ई(पी.एंड ए.)II-2014/पी.एल.बी.-3

महाप्रबंधक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
सभी भारतीय रेलों तथा उत्पादन इकाइयां आदि।  
(डाक सूची I और II के अनुसार)

विषय : वित्त वर्ष 2013-14 के लिए सभी पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को  
उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान।  
\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय पर बोर्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.09.2014 और 05.11.2014 को  
उत्लिखित किया जाता है। बोर्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.11.2014 के द्वारा 78 दिनों की  
उत्पादकता संबद्ध बोनस के भुगतान की प्रोविजनल स्वीकृति को नियमित किया गया था।

2. हालांकि, यह प्रश्न उठाया जा रहा था कि, क्या मजूरी की गणना की सीमा जोकि रुपये 3500/-  
है, को हटा दिया गया है। एतद् द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्पादकता संबद्ध बोनस हेतु मजूरी  
की गणना की सीमा जोकि रुपये 3500/- है, में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।




(के. शंकर)  
निदेशक/स्थापना (वे. एवं भ.)  
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दि. 11.11.2014

सं. ई(पी.एंड ए.)II-2014/पी.एल.बी.-3

प्रतिलिपि : भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, नई दिल्ली- 110001  
(40 अतिरिक्त प्रतियां सहित) को प्रेषित।




कृते वित्त आयुक्त/ रेलवे

नई दिल्ली, दि. 11.11.2014

सं. ई(पी.एंड ए.)II-2014/पी.एल.बी.-3

प्रतिलिपि : 1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलों तथा उत्पादन इकाइयां  
आदि को प्रेषित।  
2. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16 अशोक रोड, लखनऊ।



(के. शंकर)  
निदेशक/स्थापना (वे. एवं भ.)  
रेलवे बोर्ड

क्रमशः .....2/-